कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः– /एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संवि0विस्तार दिनाँकः21 –जुलाई–2026

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, के शासकीय पत्र संख्या–152/71–1–2024 लखनऊ दिनांक–20 जून 2024 एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पृष्ठांकन संख्या–एम0ई0–2/2024/1544–45 लखनऊ दिनांक–21 जून 2024 जोकि इस कार्यालय के डायरी संख्या–4695 दिनांक–21.06.2024 पर अंकित है एवं पुनः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय संख्या–एम0ई0–2/2024/1630 लखनऊ दिनांक–02 जुलाई 2024 द्वारा संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षक गण की तैनाती/नियुक्ति एवं संविदा कार्यकाल विस्तारित किये जाने सम्बन्धित प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस चिकित्सा महाविघालय के 01 चिकित्सा शिक्षक की संविदा अवधि पूर्ण होने के क्रम में, सर्जरी विभाग विशिष्टता में संविदा के आधार पर कॉलम संख्या–5 में उल्लिखित कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से विज्ञापन द्वारा चयनित अभ्यर्थी आने तक अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए **संविदा अवधि बढ़ाये जाने** की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2– यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक–

1. यदि आपके विरूद्ध कोई ऐसे प्रतिकूल तथ्य जो संस्था के हित के विपरीत हो, संज्ञान में आने पर नियमानुसार जांचोपरांत आपकी सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
2. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
3. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
4. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
6. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
7. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
8. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
9. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।
10. यदि आप मरीज/छात्र एवं संस्था के विरूद्ध कार्य करते पाये जाते हैं तो आपकी सेवाएं एक माह का नोटिस देते हुए समाप्त कर दी जाएगी।

3–शासनादेश संख्या–4661/71–1–08–जी–63/2008 दिनांक 15–12–2008, शासनादेश संख्या–909/71–1–13–जी–1/2011 दिनांक 11–04–2013, शासनादेश संख्या–सी0एम0–03/71–1–2014–जी–63/08, दिनांक 22–01–2015, शासनादेश संख्या–104/2019/5044/71–1–9–जी–63/2008 दिनांक 21–11–2019 एवं शासनादेश संख्या–1346/71–1–2010–जी–63/2008 दिनांक 07–06–2010, शासनादेश संख्या–2282/71–1–2013–जी–1/2021 दिनांक 13–09–2013 एवं शासनादेश संख्या–819/71–1––2015–जी–77/2015 दिनांक 07–06–2010, आदेश संख्या–1/160855/2022–71–1001/804/2020 दिनांक 24–04–2015 में निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4– उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनाँक 21–11–2019 एवं 24.04.2015 एवं 18–07–2024 मे गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः–2578/एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संवि0विस्तार तददिनाँक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कुलपति, अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
6. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झॉसी।
8. विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग मेडिकल कॉलेज, झॉसी।
9. नोडल अधिकारी, ई–हास्पिटल/बायोमैट्रिक/एन0एम0सी0/वेबसाइट/मेडिकल कॉलेज झॉसी।
10. प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल कालेज, झाँसी।
11. लेखानुभाग (कॉलेज)/कैशियर द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, झॉसी।
12. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

आदेश संख्या–2578/एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संविदा–नियुक्ति, दिनांक 21–07–2026 का संलग्न

क्रम सं0	चिकित्सा शिक्षक का नाम एवं पदनाम	विशिष्टता	शासनादेश संख्या एवं दिनांक जिसके द्वारा कार्यकाल बढ़ाया गया/नियुक्ति की गयी	कार्यकाल समाप्ति की तिथि
01	डा0 संजय चौबे आचार्य	ट्रामा सेंटर (सर्जरी विभाग) आचार्य	2754/एम0सी0जे0–2025/ई0सी0–1/संवि0 विस्तार	16–07–2026

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, झाँसी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्याः— /एम0सी0जे0—2026/ई0सी0—1/संविदा—नियुक्ति दिनाँक21 जुलाई—2026

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1, के शासकीय पत्र संख्या—148/71—1—24/71—1001/804/2020 लखनऊ दिनांक—14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक—14.06.2024 जोकि, इस कार्यालय के डायरी संख्या—4303 दिनांक—14.06.2024 पर अंकित है, के कम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत दिनाँक 14—जुलाई—2026 को लिये गये साक्षात्कार में चयनित ई0एन0टी0 विभाग, विशिष्टताओं में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षक के रूप में 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2— यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक—

01. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
02. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का समय एवं स्थान को अंकित करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
03. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
04. मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
05. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
06. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
07. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
08. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।
09. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने से 15 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करे ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. बाण्ड अभ्यर्थी को महानिदेशालय द्वारा निर्गत अनादेय प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करनें से पहले प्रस्तुत करना होगा
11. यदि आप मरीज/छात्र एवं संस्था के विरूद्ध कार्य करते पाये जाते हैं तो आपकी सेवाएं एक माह का नोटिस देते हुए समाप्त कर दी जाएगी।

— शासनादेश संख्या—4661/71—1—08—जी—63/2008 दिनाँक 15—12—2008 तथा शासनादेश ंख्या—909/71—1—13—जी—11/2011 दिनाँक 11—04—2013, शासनादेश संख्या—सी0एम0—03/ 1—2014—जी63/ 08, दिनाँक 22—01—2015, शासनादेश संख्या—104/ 2019/5044/ 1—1—9—जी—63/2008 दिनाँक 21—11—2019 एवं शासनादे ंख्या—819/71—1—2015—जी—77/2015, दिनाँक 24—04—2015, दिनाँक 24—04—2015 में निर्धा र्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेगे।

4– उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनाँक 21–11–2019 एवं 18–07–2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः 2581/एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संविदा–नियुक्ति तददिनाँक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।
02. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
03. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
04. कुलपति, अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
05. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
06. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
07. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
08. आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कालेज, झाँसी।
09. विभागाध्यक्ष, ई0एन0टी0 विभाग मेडिकल कालेज, झाँसी।
10. नोडल अधिकारी, ई–हास्पिटल/बायोमैट्रिक/एन0एम0सी0/वेबसाइट मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
11. प्रभारी अधिकारी, छात्रानुभाग, मेडिकल कालेज, झाँसी।
12. लेखानुभाग (कॉलेज) द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
13. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

आदेश संख्याः-2581 /एम0सी0जे0-2026/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति, दिनाँक-21-07-2026 का

संलग्नक

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यार्थी का नाम एवं पता	जन्मतिथि	अभ्यार्थी की श्रेणी	रोस्टर की वांछित श्रेणी
1	ई0एन0टी0 विभाग (सहायक आचार्य)	डा0 मोहम्मद तौसीफ पता-540, बड़ी मस्जिद, सैंयर गेट, झाँसी।	27-03-1987	सामान्य	अनूसूचित जाति

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज,
झाँसी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्याः— /एम0सी0जे0—2026/ई0सी0—1/संविदा—नियुक्ति दिनाँकः 21 जुलाई—2026

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1, के शासकीय पत्र संख्या—148/71—1—24/71—1001/804/2020 लखनऊ दिनांक—14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक—14.06.2024 जोकि, इस कार्यालय के डायरी संख्या—4303 दिनांक—14.06.2024 पर अंकित है, के कम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत दिनॉक 14—जुलाई—2026 को लिये गये साक्षात्कार में चयनित यूरोलॉजी, विभाग, विशिष्टताओं में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षक के रूप में 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2— यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक—

01. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
02. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का समय एवं स्थान को अंकित करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
03. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
04. मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
05. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
06. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
07. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
08. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।
09. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने से 15 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करे ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. बाण्ड अभ्यर्थी को महानिदेशालय द्वारा निर्गत अनादेय प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा
11. यदि आप मरीज/छात्र एवं संस्था के विरूद्ध कार्य करते पाये जाते हैं तो आपकी सेवाएं एक माह का नोटिस देते हुए समाप्त कर दी जाएगी।

3— शासनादेश संख्या—4661/71—1—08—जी—63/2008 दिनाँक 15—12—2008 तथा शासनादेश संख्या—909/71—1—13—जी—11/2011 दिनाँक 11—04—2013, शासनादेश संख्या—सी0एम0—03/71—2014—जी63/ 08, दिनाँक 22—01—2015, शासनादेश संख्या—104/ 2019/5044/71—1—9—जी—63/2008 दिनाँक 21—11—2019 एवं शासनादेश संख्या—819/71—1—2015—जी—77/2015, दिनाँक 24—04—2015, दिनाँक 24—04—2015 में, निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेगे।

4– उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनाँक 21–11–2019 एवं 18–07–2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः–2579/एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संविदा–नियुक्ति तददिनाँक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।
02. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
03. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
04. कुलपति, अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
05. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
06. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
07. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
08. आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कालेज, झाँसी।
09. विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग मेडिकल कालेज, झाँसी।
10. नोडल अधिकारी, ई–हास्पिटल/बायोमैट्रिक/एन0एम0सी0/वेबसाइट मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
11. प्रभारी अधिकारी, छात्रानुभाग, मेडिकल कालेज, झाँसी।
12. लेखानुभाग (कॉलेज) द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
13. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

आदेश संख्याः-2579/एम0सी0जे0-2026/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति, दिनाँक-21-07-2026 का

संलग्नक

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यार्थी का नाम एवं पता	जन्मतिथि	अभ्यार्थी की श्रेणी	रोस्टर की वांछित श्रेणी
1	यूरोलॉजी विभाग (आचार्य)	डा0 मनीष जैन पता-आनन्द हास्पिटल करगुँवा रोड़, मेडिकल कालेज, झाँसी पिन-284128	15-03-1971	सामान्य	अनुसूचित जाति

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, झाँसी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्याः– /एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संविदा–नियुक्ति दिनाँकः 21 जुलाई–2026

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, के शासकीय पत्र संख्या–148/71–1–24/71–1001/804/2020 लखनऊ दिनांक–14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक–14.06.2024 जोकि, इस कार्यालय के डायरी संख्या–4303 दिनांक–14.06.2024 पर अंकित है, के कम में महारानी ,लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत दिनाँक 14–जुलाई–2026 को लिये गये साक्षात्कार में चयनित मानसिक रोग विभाग, विशिष्टताओं में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षक के रूप में 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की ज़ाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2– यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक–

01. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
02. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का समय एवं स्थान को अंकित करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
03. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
04. मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
05. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
06. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
07. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
08. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।
09. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने से 15 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करे ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. बाण्ड अभ्यर्थी को महानिदेशालय द्वारा निर्गत अनादेय प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा
11. यदि आप मरीज/छात्र एवं संस्था के विरूद्ध कार्य करते पाये जाते हैं तो आपकी सेवाएं एक माह का नोटिस देते हुए समाप्त कर दी जाएगी।

3– शासनादेश संख्या–4661/71–1–08–जी–63/2008 दिनाँक 15–12–2008 तथा शासनादेश संख्या–909/71–1–13–जी–11/2011 दिनाँक 11–04–2013, शासनादेश संख्या–सी0एम0–03/71–2014–जी63/ 08, दिनाँक 22–01–2015, शासनादेश संख्या–104/ 2019/5044/ 1–1–9–जी–63/2008 दिनाँक 21–11–2019 एवं शासनादेश संख्या–819/71–1–2015–जी–77/2015, दिनाँक 24–04–2015, दिनाँक 24–04–2015 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेगे।

4— उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनाँक 21—11—2019 एवं 18—07—2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः— 2589 एम0सी0जे0—2026 / ई0सी0—1 / संविदा—नियुक्ति तददिनाँक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1, लखनऊ।
02. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
03. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
04. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
05. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
06. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
07. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
08. आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कालेज, झाँसी।
09. विभागाध्यक्ष, मानसिक रोग विभाग मेडिकल कालेज, झाँसी।
10. नोडल अधिकारी, ई—हास्पिटल / बायोमैट्रिक / एन0एम0सी0 / वेबसाइट मेडिकल कॉलेज, झाँसी
11. प्रभारी अधिकारी, छात्रानुभाग, मेडिकल कालेज, झाँसी।
12. लेखानुभाग (कॉलेज) द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
13. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी

आदेश संख्या:-2580/एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संविदा–नियुक्ति, दिनाँक-21–07–2026 का

संलग्नक

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यार्थी का नाम एवं पता	जन्मतिथि	अभ्यार्थी की श्रेणी	रोस्टर की वांछित श्रेणी
1	मानसिक रोग विभाग (सहायक आचार्य)	डा0 जब्बर हुसैन पता–111 दरियागढ़ रामपुर चमरौवा, रामपुर।	10–05–1982	सामान्य	अनुसूचित जाति

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज,
झाँसी।